न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/58/2024 रजू दिनांकः 08.04.2024 रजि0 न0 2024/94

अपीलार्थीः—
श्री खेमचन्द सोमवंशी, निवासी 2/61, स्कीम नं0 10बी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः—
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 22.04.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/529 दिनांक 09.04.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 25.02.2024 में वांछित सूचना/जांच रिपोर्ट की प्रति चाही गई है के संबंध में सूचना आवेदन दिनांक 25.02.2024 की स्थिति में तत्समय तक इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचना/अभिलेखीय प्रति/जानकारी से कार्यालय पत्र सं0 लो.सू.अ./RTI/2024/456 दिनांक 18.03.2024 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। तथापि संबंधित विभाग से प्रश्नगत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार अपीलार्थी को सूचित किया जा सकेगा।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में तत्समय तक की कार्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचना/अभिलेखीय प्रति/जानकारी से पत्रांक 456 दिनांक 18.03.2024 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया था। संबंधित विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावें। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)